[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 78/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2019

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

> "परंतु यह और भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान असम, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-7** में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, नवंबर, 2019 के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 25 दिसंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।"।

2. यह अधिसूचना 10 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 65/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 909(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी ।